(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 17/2021
GST Circular No.14/2021

No. 2017/AC-II/1/11/ GST References 09th March 2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Action points for GST compliances- 31st March 2021

Ref: RBA No. 31/2020/ GST Circular No. 16/2020 dated 16th March 2020

Pursuant to approaching timeline of 31st March 2021 for undertaking certain compliances and mechanism as provided under provisions of GST Act and Rules made thereunder, the instant circular highlights the requisite course of action required to be undertaken to ensure adherence to law:

1. **Credit attributable to exempted supplies- Finalization of ITC pertaining to inputs and input services reversed on monthly basis (Rule 42 of CGST Rules, 2017)**

   a. ITC attributable to supply of exempted goods or services, which have been reversed on a monthly basis during FY 2020-21 shall be finalized latest by 31st March 2021.

   b. If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit shall be determined by 31st March 2021 to ensure availment in FORM GSTR-3B for the month of March 2021.

   c. However, if the amount reversed on monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in amount shall be added to the output tax liability in FORM GSTR-3B to be filed for the month of March 2021. Please note that any reversal done post filing of FORM GSTR-3B for March 2021 shall attract interest @18% p.a. with effect from 01st April 2021.

2. **Determination of GST Liability**

   All the Zonal Railways/Production Units shall ensure that there is no omission in accountal of output liability for FY 2020-21. Any liability omitted to be reported and/or paid

shall be duly reported and deposited with interest,wherever applicable, under FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B for the month of March 2021. Such an exercise shall aid reporting at the time of filing of FORM GSTR-9 for FY 2020-21. Moreover, any modifications in rejected data for FORM GSTR-1 shall also be duly considered at the time of undertaking compliance in FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B.

Please be informed that it is being presumed that ITC flagging has been correctly carried out during the year and it shall be duty of Principal Railways/Accounting Units to ensure the same. Further, please note that aforementioned compliances/actions are in addition to periodical compliances (such as filing of FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B etc. as well as filing of FORM GSTR-9 for FY 2019-20) for the month of March 2021.

(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. Director/Finance, CRIS

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 17/2021
जीएसटी परिपत्र सं. 14/2021

09 मार्च, 2021

सं. 2017/एसी-II/1/11/ जीएसटी रेफ्रन्सिज़

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत पादन इकाइयां

विषय: जीएसटी अनुपालन के लिए कार्य बिंदु- 31 मार्च, 2021

संदर्भ: दिनांक 16 मार्च, 2020 का आरबीए सं. 31/2020/जीएसटी परिपत्र सं. 16/2020

जीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत य था उपलब ध कुछ अनुपालनों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए 31 मार्च, 2021 की समयसीमा के लिए वर्तमान परिपत्र नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही की योजना को स पष ट करता है:

1. **छूट प्राप त आपूर्तियों को आरोप य क्रेडिट- मासिक आधार पर उलट दी गई इनपुट और इनपुट सेवाओं से संबंधित आईटीसी को अंतिम रूप देना (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42)**

    1. छूट प्राप त माल या सेवाओं की आपूर्ति को आरोप य आईटीसी, जिसे वित त वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक आधार पर उलट दिया गया है, को 31 मार्च, 2021 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
    2. यदि मासिक आधार पर प्रतिवर्ती राशि अंतिम रूप से परिकलित राशि से अधिक है तो आधिक य प्रतिवर्ती क्रेडिट को 31 मार्च, 2021 तक निर्धारित किया जाएगा ताकि मार्च, 2021 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
    3. बहरहाल, यदि मासिक आधार पर प्रतिवर्ती राशि अंतिम रूप से परिकलित राशि से कम है तो राशि के अंत र को मार्च, 2021 माह के लिए भरे जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर-3बी में आउटपुट कर देयता में जोड़ा जाएगा। कृपया नोट करें कि मार्च, 2021 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी को भरे जाने के बाद हुए किसी भी प्रतिवर्तन पर 1 अप्रैल, 2021 से प्रतिवर्ष 18% की दर से ब याज लगेगा।

2. जीएसटी देयता का निर्धारण

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत पादन इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि वित त वर्ष 2020-21 के लिए आउटपुट दायिता के लेखे-जोखे में कोई चूक न हो। किसी देयता की सूचना दिए जाने के लिए चूक हुई है और/या उसका भुगतान हुआ है तो यथोचित रूप से इसकी सूचना दी जाएगी और मार्च, 2021 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत जहां कहीं लागू हो, ब याज सहित इसे जमा किया जाएगा। ऐसा करने से वित त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 को भरते समय सूचना देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक त, फॉर्म जीएसटीआर-1 के लिए रद्द डाटा में किए गए किसी आशोधन पर फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अनुपालन करते समय विधिवत रूप से भी विचार किया जाएगा।

कृपया ध यान रखें कि यह माना जा रहा है कि वर्ष के दौरान आईटीसी की फ्लैगिंग सही ढंग से की गई है और इसे सुनिश्चित करना प्रधान रेलों/लेखा इकाइयों का कर्तव य होगा। इसके अलावा, कृपया ध यान दें कि ऊपर उल्लिखित अनुपालन/कार्रवाई मार्च, 2021 माह के लिए आवधिक अनुपालनों (जैसे फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3बी आदि के साथ-साथ वित त वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 को भरना) के अतिरिक त हैं।

(वी. प्रकाश)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिप प्रेषित:

1. प्रधान वित त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत पादन इकाइयां
2. निदेशक/वित त, क्रिस